रजिस्ट्री सं० डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D.(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 1981/फाल्गुन 29, 1902
No. 116] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 1981/PHALGUNA 29, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1981

का. आ. 199(अ)/18-एफ डी/आई डी आर ए/81.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 190(अ) 18-एफ डी/आई डी आर ए/78, तारीख 21 मार्च, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न, जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं) जिनका मैसर्स नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि 20 मार्च, 1981 तक और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 20 मार्च, 1982 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 2(44)/77-सी. यू. एस.]

मनीश बहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th March, 1981

S.O. 199(E)/18FB/IDRA/81.—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 190(E)/18FB/IDRA/78 dated the 21st March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing order or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions to which the industrial undertaking known as Messrs. National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligation and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas, the duration of the said Order was further extended upto 20th March, 1981 ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extend the duration of the said order for a further period of one year upto and inclusive of 20th March 1982.

[F. No. 2(44)/77-Cus]

MANISH BAHL, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1981

का. आ. 200 (अ)/18-चख/आई डी आर ए/81 :—केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-चख की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 826(अ)/18-चख/आई डी आर ए/76, दिनांक 23 दिसम्बर, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा है) द्वारा घोषित किया था कि उक्त आदेश जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी या किसी संविदा, सम्पत्ति, हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत स्पष्ट नकद प्रत्यय सीमा के अधीन परादेय रकम के विस्तार तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रति दायित्वों को और नकद प्रत्यय लेखा (साधारण) में से मिल द्वारा निकाली गई रकमों को, जहां तक कि वे वर्तमान आस्तियों के अन्तर्गत हैं, छोड़ कर) का प्रवर्तन, जिनका मैसर्स पुलगांव काटन मिल्स लिमिटेड, पुलगांव नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो सकते हों, ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर विस्तारित की जाती रही है, जिसमें से अन्तिम विस्तारण 22 मार्च, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए था ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 24 नवम्बर, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है के लिए और विस्तारित कर दी जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 75) की धारा 18-चख की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 24 नवम्बर, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिए और विस्तारित करती है ।

[फा. सं. 3(17)/75-सी यू एस]

वी. आर. आर. आयंगर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 20th March, 1981

S.O. 200(E)/18FB/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18FB/IDRA/76, dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order) the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amounts outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets) to which the industrial undertaking known as Messrs Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date

and that all the rights privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said order was extended from time to time, the last of such extensions being upto and inclusive of 22nd March, 1981 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of 24th November, 1981 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of 24th November, 1981.

[F. No. 3(17)/75-CUS]

B. R. R. IYENGAR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981